न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2017 जिला–बिदिशा
निगरानी/विदिशा/भू.रा./2017/4716

तोरन सिंह पुत्र श्री इमरत सिंह रघुवंशी
निवासी – खरतरी तहसील गंजबासौदा जिला – बिदिशा (म.प्र.)
.... आवेदक

विरूद्ध

1– रविन्द्र सिंह पुत्र श्री प्रहलाद सिंह
2– रघुनाथ सिंह पुत्र श्री इमरत सिंह रघुवंशी
निवासीगण– खरतरी तहसील गंजबासौदा जिला – बिदिशा (म.प्र.)
.......अनावेदकगण

श्री दिवाकर दीक्षित अधि. द्वारा आज दि. 28/11/17 प्रस्तुत

28/11/17

राजस्व मण्डल

पं० दि० 7-12-17

दिवाकर दीक्षित अधि. 28/11/17

Noted 7.12.17

न्यायालय/कार्यालय राजस्व निरीक्षक वृत–1 अम्बानगर जिला बिदिशा द्वारा प्रकरण क्रमांक 64/अ–12/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 21.11.2017 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1. यहकि, अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा ग्राम खरथरी स्थित भूमि आराजी क्रमांक 75 रकवा 1.494 है0, का सीमांकन हेतु आवेदन पत्र संहिता की धारा 129 के अन्तर्गत कार्यालय नायब तहसीलदार बासौदा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिसके आधार पर प्रकरण क्रमांक 64/अ–12/2016–17 पंजीबद्ध कर कार्यवाही प्रारंभ की गयी।

2. यहकि, अधीनस्थ कार्यालय/न्यायालय राजस्व निरीक्षक वृत–1 अम्बानगर के समक्ष आवेदक द्वारा एक आपत्ति इस आशय की प्रस्तुत की गयी। कि ग्राम खरथरी स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 75 रकवा 1.494 है0 पर अनावेदक

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/निगरानी/विदिशा/भू.रा./2017/4716

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री दिवाकर दीक्षित उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी राजस्व निरीक्षक के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 26-02-19 को कलेक्टर, जिला विदिशा के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	